FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर **मुकाम** बाप (फलोदी)

बेलाल खां पुत्र नेनू खां **बनाम** अधिक्षण अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. फलोदी वगैरा

रस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 40/2025 सन्......................

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2...25	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम ~~[illegible]~~ जोड़ पटवार हल्का जोड़ पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 181 रकबा 15–3942 है0 भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि में जी एस एस निमार्ण व अन्य किसी प्रकार का निमार्ण न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य एजेन्सी से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजि. एडि से करवाकर रसीदें तीन दिवस में पेश करें। पत्रावली दिनांक 10/3/25 ....को पेश हो। [signature] 27/2/25 सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	
10/3/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण की तलबी करवाने बाबत दिनांक 17/04/25 को पेश हो [signature]	
17/4/25	आज श्रीमान साहब [illegible] पेशी इस [illegible] कर पत्रावली तारीख 20/5/25 को पेश हो। [initials]	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण की तलबी करवाने बाबत दिनांक 26/06/25 को पेश हो [signature]	
26/6/2025	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित मुतबिक पार्टी NOT PRESS खारिज हो जाने से स्थगन	

कार्यवाही मिसल में आगे चलाना उचित नहीं है। [illegible]
स्थगन कार्यवाही का इस्तगासा जो खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार हो। [illegible]
बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

(सुखाराम बिश्नोई) 28/6/[illegible]

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)